उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अधिनियम 1975[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1975 ई०]

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 17, 1981

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 31 जुलाई, 1975 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 5 अगस्त, 1975 की बैठक में स्वीकृत किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 14 अगस्त, 1975 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 18 अगस्त, 1975 को प्रकाशित हुआ।]

सभी मंत्रियों तथा विधायकों और उनके परिवार के सदस्यों की आस्तियों तथा दायित्वों का विवरण प्रकाशित करना और तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है : ——

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों संक्षिप्त नाम का प्रकाशन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा ।

परिभाषाएं

2–जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में ——

(क) "आस्तियों" का तात्पर्य, किसी व्यक्ति के संबंध में, निम्नलिखित से है : ——

(1) स्थावर सम्पत्ति, में स्वामी, बन्धककर्ता, पट्टाकर्ता, पट्टेदार के रूप में या अन्यथा उसके अधिकार, हक या हित ;

(2) किसी कारोबार, व्यापार या औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक प्रोद्यम में, चाहे उसका संचालन लाभ के उद्देश्य से किया जाता हो या नहीं, उसके अधिकार, हक या हित ;

(3) नकद रखी गयी (पांच हजार रूपये से अधिक) कोई भी धनराशि ;

(4) बैंक बैलेन्स जिसके अन्तर्गत सावधि निक्षेप भी है ;

(5) अंश, स्टाक, ऋण–पत्र तथा अन्य प्रतिभूतियां ;

(6) मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 में यथा परिभाषित मोटर गाड़ियां ;

(7) बीमा की पालिसियां ;

(8) आभूषण (जो अंगूठी, इयरिंग, चूड़ियां, बटन, केसलिंक, घड़ी, घड़ी के फीते तथा इसी प्रकार की वस्तुओं से भिन्न हों, जिन्हें ऐसा व्यक्ति सामान्यतया प्रतिदिन पहनता हो) ;

(ख) "परिवार" का तात्पर्य किसी मंत्री या विधायक के संबंध में, निम्नलिखित से है:——

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 1 अगस्त, 1975, का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

(1) उसका पति या उसकी पत्नी (जो न्यायिक रूप से पृथक किये हुए पति या पत्नी न हो) ;

(2) उसके अवयस्क बच्चे ; और

(3) रक्त या विवाह द्वारा उसमें संबंधित और उन पर पूर्णतया आश्रित कोई अन्य व्यक्ति ;

(ग) "विधायक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के किसी भी एक सदन के सदस्य में है, और इसके अन्तर्गत मंत्री भी है जो इस प्रकार का सदस्य हों ;

(घ) "दायित्व" के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के संबंध में, पांच हजार रूपए से अनधिक धनराशि तक का दायित्व नहीं है ;

(ङ) "मंत्री" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश मंत्रि–परिषद् के सदस्य से है ;

(च) "सचिव" का तात्पर्य किसी विधायक के संबंध में राज्य विधान मण्डल के जिस सदन का वह सदस्य है, उसके सचिव से है और किसी ऐसे मंत्री के संबंध में, जो विधायक न हो, विधान सभा के सचिव से है ।

मंत्रियों तथा विधायकों की सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करने का कर्त्तव्य

3–(1) प्रत्येक मंत्री या विधायक दिनांक 7 जून, 1975 से तीन मास की अवधि के भीतर अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों की सभी आस्तियों और दायित्वों का, जैसा कि वे उक्त दिनांक को हों, विवरण प्रथम अनुसूची में दिए गए प्रपत्र में सचिव को प्रस्तुत करेगा ।

(2) उक्त दिनांक के पश्चात् मंत्री के रूप में नियुक्त अथवा विधायक के रूप में निर्वाचित या नाम–निर्देशित प्रत्येक व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे निर्वाचन, नाम–निर्देशन या नियुक्ति के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण सचिव को प्रस्तुत करेगा ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति मंत्री या विधायक के रूप में पदासीनता की समाप्ति पर आस्तियों तथा दायित्वों का, जैसा कि वे समाप्ति के दिनांक को हों, तत्समान विवरण, ऐसे दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा ।

अर्जन तथा व्ययन का वार्षिक विवरण

4–प्रत्येक मंत्री या विधायक, अपनी सम्पूर्ण पदावधि में प्रति वर्ष जून के तीसवें दिनांक को अथवा उसके पूर्व पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा और अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा भी अर्जित या व्ययित समस्त आस्तियों या उपगत दायित्वों का विवरण द्वितीय अनुसूची में दिए गये प्रपत्र में सचिव को प्रस्तुत करेगा ।

स्पष्टीकरण 1 –– यदि ऐसे व्यक्ति ने और उसके परिवार के किसी सदस्य में किसी विशिष्ट वर्ष के दौरान न तो किसी आस्ति का अर्जन और न व्ययन किया हो तो भी वह इस धारा के अधीन एक "शून्य" विवरण प्रस्तुत करेगा ।

स्पष्टीकरण 2 –– इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद "अर्जित" का तात्पर्य किन्हीं आस्तियों के संबंध में क्रय, दान, वसीयत, पट्टा, विनियम, बन्धक, विभाजन या पारिवारिक समझौते द्वारा उसके अर्जन से है ।

विवरण का बाद में संशोधन

5–यदि धारा 3 या धारा 4 के अधीन विवरण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को बाद में यह पता चले कि उस विवरण में कोई लोप या भूल है तो वह ऐसी शुद्धि का, जिसे वह प्रकाशित कराना चाहे, ब्योरा देते हुए एक विवरण सचिव को प्रस्तुत कर सकता है । ऐसे विवरण के साथ प्रथम अनुसूची में दिए गये प्रपत्र में घोषणा संलग्न होगी ।

विवरण का गजट में प्रकाशन

6–(1) सचिव, जो विवरण प्रस्तुत किये गये हों उन सबकों और जिन मंत्रियों तथा विधायकों से समय के भीतर ऐसे विवरण प्राप्त न हुए हों, उन सभी के नाम भी, धारा 3 [1][* * *] में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् और प्रति वर्ष धारा 4 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र तृतीय अनुसूची में दिए गये प्रपत्र में गजट में प्रकाशित करेगा।

(2) सचिव [1][* * *] धारा 5 के अधीन उसे प्रस्तुत किये गये प्रत्येक विवरण को भी प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र गजट में प्रकाशित करेगा ।

(3) यदि सचिव को किसी ऐसे मंत्री या विधायक से जिसने धारा 3 या धारा 4 में उल्लिखित अवधि के भीतर विवरण प्रस्तुत न किया हो, बाद में कोई विवरण प्राप्त हो तो वह उसे गजट में इस टिप्पणी के साथ प्रकाशित करेगा कि वह इस उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त हुआ था ।

किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विवरण या घोषणा का साबित किया जाना

7–(1) धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन सचिव को प्रस्तुत किये गये विवरण या घोषणा को किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष गजट की, जिसमें उसको धारा 6 के अधीन प्रकाशित किया गया है, एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करके साबित किया जा सकता है ।

(2) विधान मण्डल के किसी सदन के सचिव या सचिवालय कर्मचारिवर्ग के किसी अन्य सदस्य को मूल विवरण या घोषणा को प्रस्तुत करने अथवा उसके सम्बन्ध में किसी अन्य तथ्य को साबित करने के लिये साधारणतया समन नहीं किया जायेगा ।

(3) यदि कोई न्यायालय या अन्य प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से मूल विवरण या घोषणा का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक समझता है तो यह, यथास्थिति, विधान सभा के अध्यक्ष या विधान परिषद् के सभापति को सदन की अनुज्ञा के लिए एक अनुरोध–पत्र भेजेगा कि ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष मूल विवरण या घोषणा को सदन के सचिवालय के कर्मचारिवर्ग के किसी सदस्य के माध्यम से प्रस्तुत करा दिया जाय और तत्पश्चात् उसकी साक्षी के रूप में परीक्षा की जा सकेगी ।

अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का संरक्षण

8–इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में किये गये या किये जाने वाले आशयित किसी कार्य के लिये और विशेष रूप से किसी सामग्री के प्रकाशन के लिये राज्य सरकार के विरूद्ध या सचिव के विरूद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नही की जायेगी ।

निरसन तथा अपवाद

उ0 प्र0 अध्यादेश सं0 15, 1975

9–(1) उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अध्यादेश, 1975 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 17, 1981 की धारा 2 द्वारा निकाला गया ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन की गयी बात या किया गया कार्य समझा जायगा मानों यह अधिनियम 7 जून, 1975 को प्रवृत्त हो गया था ।

प्रथम अनुसूची

उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अधिनियम, 1975 की [1][धारा 3 के अधीन] मंत्री/विधायक की आस्तियों तथा दायित्वों का विवरण, जैसा कि वह दिनांक — — — — — की थी ।

1— नाम

2— पता

3— स0 वि0 स0 अथवा स0 वि0 प0

4— यदि निर्वाचित हुए हों तो निर्वाचन क्षेत्र का नाम उल्लिखित कीजिए (नाम—निर्देशन की दशा में, नाम—निर्देश का तथ्य उल्लिखित किया जाय)

प्रपत्र 1

मंत्री/विधायक या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धृत कृषि भूमि का ब्योरा ;

क्रम—संख्या	अभिलिखित खातेदार का नाम तथा परिवार के किसी सदस्य की दशा में मंत्री या विधायक से उसका सम्बन्ध	विवरण तथा स्थिति	गाटा संख्या या अन्य अभिज्ञान संख्या	क्षेत्रफल एकड़ों में	भूराजस्व
1	2	3	4	5	6

टिप्पणी 1 —— कृषि भूमि का प्रत्येक मद पृथक्—पृथक् दिया जाना चाहिये ।

टिप्पणी 2 —— सम्पत्ति का विवरण तथा स्थिति इस प्रकार दी जानी चाहिए जिससे कि सम्पत्ति तथा उसकी सीमा साफ—साफ पहचानी जा सके । गाटा संख्या और/अथवा सर्वेक्षण संख्या तथा ग्राम/तहसील का नाम सदैव उल्लिखित किया जाना चाहिए ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 17, 1981 की धारा 2 द्वारा निकाला गया ।

प्रपत्र 2

मंत्री/विधायक या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धृत (कृषि भूमि के भिन्न) स्थावर सम्पत्तियों का ब्योरा ;

क्रम–संख्या	व्यक्ति जिसके नाम सम्पत्ति हो तथा परिवार के किसी सदस्य की दशा में मंत्री या विधायक से उसका सम्बन्ध	विवरण तथा स्थिति	अभिज्ञान संख्या या सीमा	अधिकार, हक या हित का प्रकार (अर्थात् क्या स्वामी, बंधककर्त्ता, बन्धकदार, पट्टाकर्त्ता, पट्टेदार के रूप में या किसी अन्य हैसियत से धृत है)
1	2	3	4	5

टिप्पणी 1 –– सम्पत्ति का प्रत्येक मद पृथक्–पृथक् दिया जाना चाहिये ।

टिप्पणी 2 –– सम्पत्ति का विवरण तथा स्थिति इस प्रकार दी जानी चाहिए जिससे कि सम्पत्ति तथा उसकी सीमा साफ–साफ पहचानी जा सके । गाटा संख्या और/अथवा सर्वेक्षण संख्या तथा ग्राम/तहसील का नाम सदैव उल्लिखित किया जाना चाहिए ।

प्रपत्र 3

किसी कारोबार, व्यापार या औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रोद्यम में मंत्री/विधायक या उसके परिवार के किसी सदस्य के अधिकार, हक या हित का ब्योरा

क्रम–संख्या	प्रोद्यम या व्यापार संस्था का नाम, यदि कोई हो	स्थिति	उसमें उसके अधिकार, हक या हित का प्रकार तथा विवरण
1	2	3	4

टिप्पणी 1 –– मंत्री/विधायक या उसके परिवार के सदस्यों के अधिकार, हक या हित का ब्योरा स्तम्भ 4 में पृथक्–पृथक् दिया जाना चाहिये।

टिप्पणी 2 –– परिवार के सदस्यों की दशा में, मंत्री/विधायक से उनके संबंध को भी विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

प्रपत्र 4

मंत्री या विधायक के स्वामित्व में या उसके द्वारा धृत जंगम सम्पत्तियों का ब्योरा

क्रम–संख्या	आस्तियों का प्रकार	तखमीनी कीमत या मूल्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1–	नकद (5,000 रूपए से अधिक)	रू0	
2–	बैंक बैलेन्स (बैंको के नाम सहित)		
	(क) सावधि निक्षेप		
	(ख) बचत बैंक		
	(ग) चालू खाता		
	(घ) डाकघर		
	(ङ) लोक भविष्य निधि (डाकघर)		
	(च) अन्य		
3–	अंश, स्टाक, ऋण–पत्र तथा अन्य प्रतिभूतियां (जिसके अन्तर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी की गयी यूनिट भी है)		
4–	मोटर गाड़ियां (मेक, माडल तथा रजिस्ट्रीकरण संख्या के ब्योरे सहित)		
5–	जीवन बीमा पालिसी (पालिसी संख्या, क्या वह भारतीय जीवन बीमा निगम या डाक जीवन बीमा की है, वार्षिक प्रीमियम तथा बीमाकृत धनराशि के ब्योरे सहित)		
6–	आभूषण (प्रत्येक मूल्यवान धातु अथवा पत्थर के आभूषणों का कुल वजन निर्दिष्ट किया जाय)		
	कुल मुल्य . . .		

प्रपत्र 5

मंत्री या विधायक के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व में या उनके द्वारा धृत जंगम सम्पत्तियों का ब्योरा

क—— परिवार के सदस्य के नाम . . . .

ख—— श्री . . . . (मंत्री / स0 वि0 स0 / स0 वि0 प0) से संबंधित ।

ग—— संबंध का प्रकार . . . .

क्रम—संख्या	आस्तियों का प्रकार	तखमीनी कीमत या मूल्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1——	नकद (5,000 रूपए से अधिक)	रू0	
2——	बैंक बैलेन्स (बैंको के नाम सहित)		
	(क) सावधि निक्षेप		
	(ख) बचत बैंक		
	(ग) चालू खाता		
	(घ) डाकघर		
	(ङ) लोक भविष्य निधि (डाकघर)		
	(च) अन्य		
3——	अंश, स्टाक, ऋण—पत्र तथा अन्य प्रतिभूतियां (जिसके अन्तर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी की गयी यूनिट भी है)		
4——	मोटर गाड़ियां (मेक, माडल तथा रजिस्ट्रीकरण संख्या के ब्योरे सहित)		
5——	जीवन बीमा पालिसी (पालिसी संख्या, क्या वह भारतीय जीवन बीमा निगम या डाक जीवन बीमा की है, वार्षिक प्रीमियम तथा बीमाकृत धनराशि के ब्योरे सहित)		

6—— आभूषण (प्रत्येक मूल्यवान धातु अथवा पत्थर के आभूषणों का कुल वजन निर्दिष्ट किया जाय) ————————————————————

कुल योग . . .

टिप्पणी 1 —— यदि परिवार में एक से अधिक सदस्य हों तो प्रत्येक ऐसे सदस्य के लिए पृथक् विवरण तैयार किया जायगा ।

—————

प्रपत्र 6

दायित्व

क्रम–संख्या	उत्तरदायी	व्यक्ति का नाम	उस व्यक्ति का नाम जिसके प्रति उत्तरदायी	दायित्व का प्रकार	दायित्व की वर्तमान सीमा
1	2	3	4	5	6

घोषणा

मै . . . ., पुत्र श्री . . . . सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में, इस विवरण में दी गयी सूचना सही और पूर्ण है ।

स्थान . . . .

दिनांक . . . . (हस्ताक्षर)

द्वितीय अनुसूची

उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अधिनियम, 1975 की धारा 4 के अधीन वित्तीय वर्ष 197 . . . से 197 . . . के दौरान अर्जित या व्ययित समस्त आस्तियों या उपगत दायित्वों का विवरण ;

1—— मंत्री / स0वि0स0 / स0वि0प0 या उसके परिवार के सदस्य का नाम — — — — — — —

2—— पता — — — — — — — — — — —

3—— परिवार के सदस्य की दशा में, मंत्री / स0 वि0 स0 / स0 वि0 प0 से संबंध — — — — — — — — —

भाग 1

क्रम–संख्या	अर्जित या व्ययित आस्तियों का विवरण	अर्जन या व्ययन की रीति तथा दिनांक	उस व्यक्ति का नाम तथा पता जिससे अर्जित किया गया या जिसके हाथ व्ययन किया गया	ऐसे प्रतिफल, यदि कोई हों, की राशि, जिसके लिये अर्जन या व्ययन किया गया
1	2	3	4	5
				रू0
			कुल मूल्य	————————————

भाग 2

क्रम–संख्या	उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	उस व्यक्ति का नाम जिसके प्रति उत्तरदायी हों	दायित्व का प्रकार	वह दिनांक जब दायित्व उपगत किया गया	दायित्व की तखमीनी कीमत या मूल्य
1	2	3	4	5	6
					रू0
				कुल मूल्य	————————————

टिप्पणी 1 —— प्रत्येक मंत्री/विधायक या उसके परिवार के सदस्य की दशा में पृथक विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

घोषणा

मै . . . . , पुत्र श्री . . . . सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में, इस विवरण में दी गयी सूचना सही और पूर्ण है ।

स्थान . . . .

दिनांक . . . .   (हस्ताक्षर)

तृतीय अनुसूची

[उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अधिनियम, 1975 की धारा 6 के अधीन अधिसूचना]

विधान सभा / विधान परिषद् सचिवालय

लखनऊ, दिनांक – – – – – –

सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है कि नीचे उत्तर प्रदेश विधान सभा / परिषद् के उन सदस्यों के और ऐसे मंत्रियों के (जो राज्य विधान मण्डल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं) नाम है जिनसे प्रकाशन के लिए आस्तियों तथा दायित्वों का कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ है :–

[1–(यहां पर नाम तथा निर्वाचन क्षेत्र का उल्लेख कीजिए और उन मंत्रियों की दशा में, जो विधायक नहीं है, मंत्री होने के दिनांक का उल्लेख कीजिये।]

2–सदस्यों / मंत्रियों से प्राप्त विवरण सर्वसाधारण की सूचना के लिए नीचे दिया जाता है :–

(यहां पर प्रत्येक सदस्य द्वारा दिया गया विवरण उद्धरित किया जायगा ।)

हस्ताक्षर,

सचिव, विधान सभा / परिषद्